विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2025 (बुधवार) को सरदार पटेल भवन स्थित, गृह विभाग, बिहार, पटना के कॉन्फ्रेन्स हॉल में सम्पन्न बैठक (Minutes of Proceeding) की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार	–	महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
2.	श्रीमती एस० प्रेमलता	–	पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
3.	श्रीमती अंजु सिंह	–	संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग।

उक्त के अतिरिक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो व विशेष निगरानी इकाई एवं पटनास्थित न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक सदेह एवं मुजफ्फरपुर व भागलपुर में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, प्रारंभ में संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं विशेष लोक अभियोजकों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1. सर्वप्रथम विशेष न्यायालय, **मुजफ्फरपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय)** एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर **(PC Act-1988 के तहत गठित)** में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा की गयी। मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजकों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में लंबित वादों की अधिकता एवं विगत दो माह में वादों का निस्तारण नहीं होने को देखते हुए पूछे जाने पर उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (A.G.T) हो जाने, अतिरिक्त प्रभार, गवाहों की कम उपस्थिति (विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मियों की कम उपस्थिति), अभियोजन साक्ष्य पर वादों का लंबित रहना आदि को मुख्य कारण बताया गया। श्री अरूण कुमार चौधरी, विशेष लोक अभियोजक, निगरानी, मुजफ्फरपुर द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रभारी, विशेष लोक अभियोजक, श्री कृष्णदेव साह द्वारा राज्यसात के दो नये मामलों को न्यायालय में एडमिट कर लिये जाने की सूचना दी गयी।

महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजकों को वैसे वादों की सूची बनाने का निदेश दिया गया, जिनका निस्तार अगले दो महीनों में संभव हो सके।

2. इसके उपरांत विशेष न्यायालय, **भागलपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय)** एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर **(PC Act-1988 के तहत गठित)** में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा की गयी। भागलपुर के एकमात्र विशेष लोक अभियोजक श्री जवाहर प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। श्री प्रसाद द्वारा बतलाया गया कि श्री राम बदन कुमार चौधरी, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक के पिताजी का निधन हो जाने एवं श्री प्रभात कुमार, विशेष लोक अभियोजक का स्थानांतरण हो जाने के कारण वे कार्यवाही में उपस्थित नहीं हैं। श्री सिरूस लाल, विशेष लोक अभियोजक बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे। श्री प्रसाद द्वारा बतलाया गया कि श्री संजय प्रिया, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को विशेष न्यायालय (निगरानी), भागलपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिससे D.A. वाद की सुनवाई में तेजी आने की संभावना है। श्री प्रभात कुमार के स्थान पर किसी अन्य विशेष लोक अभियोजक के पदस्थापन का अनुरोध किया गया।

3. इसके उपरांत विशेष न्यायालय, **पटना (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय)** एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना **(PC Act-1988 के तहत गठित)** में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा की गयी। श्री राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक, निगरानी, पटना अनुपस्थित थे। उनके कनीय अधिवक्ता, श्री दयानंद सिन्हा उपस्थित थे। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अस्पष्ट पाते हुए उन्हें स्पष्ट वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा राज्यसात वादों के समानुपातिक वितरण हेतु अनुरोध किया गया।

श्री विजय कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक (A.O.P.A) द्वारा दो वादों के निष्पादन की सूचना दी गयी, जिसमें से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में अभियुक्त की रिहाई हुई है एवं विशेष निगरानी इकाई के एक मामले में साक्ष्य की कमी के आधार पर अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, श्री श्रद्धानंद पासवान एवं श्री राजीव सहाय, विशेष लोक अभियोजक, निगरानी, पटना अनुपस्थित रहे। श्री राजीव सहाय के संबंध में सूचित किया गया कि विगत छः माह से वे न्यायालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा संचालित वादों का संचालन वर्तमान में श्री श्रद्धानंद पासवान एवं श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक द्वारा सात वादों के निष्पादन होने जिसमें सभी मामलों में अभियुक्तों की रिहाई हुई है।

श्री किशोर कुमार सिंह, प्रभारी, विशेष लोक अभियोजक (ट्रैप), निगरानी, पटना द्वारा विगत दो माह में छः वादो के निष्पादन होने की सूचना दी गयी, जिसमें चार वादों में अभियुक्त को सजा सुनाई गयी है। श्री विजय भानु, विशेष लोक अभियोजक द्वारा चार मामलों में बहस जारी रहने की बात कहते हुए अगले महीने तक सभी चार वादों के निष्पादन की संभावना व्यक्त की गयी। श्री रितेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा विगत दो माह में एक भी मामला निष्पादित नहीं होने की सूचना दी गयी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा लंबित वादों पर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4. विशेष निगरानी इकाई के पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा प्रथम अभियोग–पत्र वर्ष 2009 में दाखिल किया गया, परन्तु आज तक एक भी वाद में निर्णय नहीं प्राप्त किया जा सका है। विशेष निगरानी इकाई के पदाधिकारियों द्वारा गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु हरसंभव प्रयास किये जाने की बात कही गयी।

5. महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सभी विशेष लोक अभियोजकों को निदेश दिया कि वे अगले दो महीने का लक्ष्य निर्धारित कर अधिकाधिक संख्या में वादों का निष्पादन करायेंगे। उनके द्वारा कहा गया है कि गवाहों के उपस्थापन में तेजी आयी है। विशेष लोक अभियोजकों से उपस्थित गवाहों की गवाही करा लेने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जाने का निदेश दिया गया। महानिदेशक द्वारा A.O.P.A के मामलों में आरोप पत्र में साक्षियों के साथ–साथ अभियुक्तों की संख्या को भी सीमित रखने की जरूरत पर बल दिया गया। विशेष लोक अभियोजकों को राज्यसात वाद से संबंधित रिकार्ड पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक को गवाही कराने से पहले तैयारी कर लेने एवं गवाह की संख्या के बदले उनके गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। महानिदेशक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी गवाही कराने पर बल देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ऐसे तीन मामलों की सूची जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही करायी गयी हो, को तैयार कर लोक अभियोजकों को उपलब्ध कराया जाय।

6. **विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–**

- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तथा विशेष निगरानी इकाई द्वारा सभी लंबित नोटिस का तामिला कराने, अभियोजन स्वीकृति एवं घोषणा–पत्र हेतु लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जाय।

- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित पटना स्थित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय के मामलों में ससमय (30 दिन के अंदर) कारण–पृच्छा उपलब्ध कराने का निदेश विशेष निगरानी इकाई एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया। संबंधित वादों की सूची महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त कराने का निदेश कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों को दिया गया एवं ससमय तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को दिया गया।

- अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विशेष लोक अभियोजकों को जिला पदाधिकारी (D.M.)को पत्र लिखकर समस्या को स्पष्ट करने का निदेश दिया, ताकि जिला पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रभार (अन्य मामलों) को वापस लिये जाने हेतु DLMC (District Legal Monitoring Committee) की बैठक में अनुरोध किया जा सके।

- अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के तहत् राज्य के (निगरानी थाना से इतर) जिलों में दर्ज किये गये पूरे मामलों की जिलावार सूची उपलब्ध करायी जाय तथा इन मामलों का अनुश्रवण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार का आदेश प्राप्त कर सभी संबंधित को सूचित करने की कार्रवाई की जाय।

- निगरानी न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध Appellate Court में मामला गया हो तथा निर्णय आने में दो माह से अधिक का विलंब हो रहा है, तो उक्त की सूचना संबंधित विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिये जाने का निदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

- निगरानी न्यायालय द्वारा किसी वाद में अभियुक्त की रिहाई की स्थिति में संबंधित विशेष लोक अभियोजक द्वारा रिहाई आदेश आते ही सत्यापित प्रति के साथ अपील किये जाने के बिन्दु पर मंतव्य सहित प्रतिवेदन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को उपलब्ध कराने का निदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

- किसी मामले में सरकारी पदाधिकारी के गवाह होने एवं उनके द्वारा गवाही से पक्षद्रोही (Hostile) होने की स्थिति में उक्त की सूचना विभाग को एवं संबंधित कार्यालय (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/विशेष निगरानी इकाई) को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उपलब्ध कराने का निदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

- प्रभारी विशेष लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजकों के बीच वादों के समानुपातिक वितरण व राज्यसात वादों का भी समानुपातिक वितरण करने की कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाय।

- विशेष लोक अभियोजकों के विपत्रों का ससमय भुगतान होने की सूचना देते हुए अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह अपने विपत्र समर्पित करें ताकि भुगतान लंबित न रहें।

- जिन मामलों में बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उन मामलों में अप्रैल के अन्त तक निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का निदेश विशेष लोक अभियोजकों को दिया गया।

- अन्त में अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा निगरानी वादों के त्वरित निष्पादन का निदेश देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को अभियोजन शाखा को सक्रिय करते हुए लंबित वादों का अनुश्रवण (Follow Up) करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/–
(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांकः**
प्रतिलिपि– महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांकः**
प्रतिलिपि– सभी विशेष लोक अभियोजक, निगरानी न्यायालय, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– 2099 **/पटना, दिनांक :–** 28/02/25
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–2)/आई0टी0 प्रबन्धक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.25
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)